

कार्यालय:-जिला कार्यक्रम अधिकारी, कानपुर देहात, कानपुर देहात।

पत्रांक- /जि0का0अ0/ऑ0बा0कार्य0/चयन/विज्ञापित/2024-25

दिनांक-24,12,2024

विज्ञापित-

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि शासनादेश संख्या-19/2023/3975/58-1-2022-2/1(22) 10टी0सी0, बाल विकास एवं पुष्ठाहार अनुभाग, दिनांक 21 मार्च, 2023 में वर्णित व्यवस्थानुसार जनपद कानपुर देहात के शहरी/ग्रामीण परिक्षेत्रों में संचालित बाल विकास परियोजना में ऑगनबाड़ी कार्यकर्त्री के मानदेय पर आधारित रिक्त पदों पर नियुक्ति हेतु सीधी भर्ती प्रक्रिया के तहत विभागीय वेबसाइट <https://upanganwadibharti.in> पर ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं। रिक्त पदों का परियोजनावार विवरण निम्नवत है:-

क्र0सं0	परियोजना का नाम	रिक्त पदों की संख्या	ग्रामीण/शहरी	अनारक्षित	ई0डब्ल्यू0एस0	अन्य पिछड़ा वर्ग	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	कुल योग
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	अकबरपुर	10	ग्रामीण/शहरी	4	2	2	2	0	10
2	अमरौधा	13	ग्रामीण/शहरी	6	2	0	5	0	13
3	डैरापुर	8	ग्रामीण/शहरी	4	1	0	1	2	8
4	झींझक	3	ग्रामीण/शहरी	0	0	2	0	1	3
5	मैथा	10	ग्रामीण	4	0	4	2	0	10
6	मलासा	7	ग्रामीण	3	3	0	1	0	7
7	राजपुर	5	ग्रामीण/शहरी	2	0	1	2	0	5
8	रसूलाबाद	14	ग्रामीण/शहरी	4	3	5	2	0	14
9	सन्दलपुर	6	ग्रामीण	3	0	1	2	0	6
10	सरवनखेड़ा	7	ग्रामीण/शहरी	3	1	1	2	0	7
11	शहर स्तम	5	ग्रामीण/शहरी	2	0	1	2	0	5
	योग-	88		35	12	17	21	3	88

उपरोक्त पदों का ग्राम सभा/वार्डवार एवं आरक्षण सहित अर्हता का पूर्ण विवरण जनपद के कलेक्ट्रेट, विकास भवन, नगर पालिका/नगर पंचायतों, तहसील एवं समस्त बाल विकास परियोजना/विकास खण्डों के कार्यालयों के नोटिस बोर्ड पर चस्पा की गयी है। साथ ही विभागीय वेबसाइट <https://upanganwadibharti.in> पर अपलोड है।
विज्ञापित पदों की अर्हता एवं आवेदन पत्र भरने हेतु विशेष निर्देश:-

1. विज्ञापित पदों हेतु केवल महिला अभ्यर्थी ही पात्र होंगी।
2. ऑगनबाड़ी कार्यकर्त्री के रिक्त पदों हेतु न्यूनतम शैक्षिक योग्यता इण्टरमीडिएट या समकक्ष एवं अधिकतम शैक्षिक योग्यता परास्नातक के आधार पर मैरिट तैयार की जायेगी।
3. आवेदिका को रिक्त पद के वार्ड/ग्राम सभा का स्थाई निवासी होना अनिवार्य होगा।
4. आवेदिका की आयु निर्धारित कट ऑफ दिनांक 01 जुलाई 2024 को न्यूनतम आयु 18 वर्ष तथा अधिकतम आयु 35 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। आयु की गणना हाईस्कूल के अंकपत्र/प्रमाण-पत्र में अंकित जन्मतिथि के आधार पर की जायेगी।
5. विज्ञापित पदों हेतु केवल विभागीय वेबसाइट <https://upanganwadibharti.in> पर ऑनलाइन आवेदन ही निर्धारित समयावधि के अन्दर स्वीकार्य होंगे। ऑफलाइन आवेदन पत्र किसी भी दशा में मान्य/स्वीकार नहीं किये जायेंगे।
6. आवेदिका द्वारा अभिलेखों की स्वहस्ताक्षरित प्रति जो स्वच्छ व पठनीय हो अपलोड की जायेगी, जिनका उल्लेख उनके द्वारा ऑनलाइन फार्म में किया गया है।
7. ग्राम सभा/वार्ड से विधवा/तलाकशुदा/परित्यक्ता/विकलांग/स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के शासनादेश में वर्णित नियमों के अन्तर्गत नियमानुसार वरीयता दी जायेगी।
8. विधवा हेतु ग्राम पंचायत अधिकारी/सम्बन्धित नगरपालिका/नगर निकाय द्वारा निर्गत मृत्यु प्रमाण-पत्र एवं परिवार रजिस्टर की नकल की प्रमाणित प्रति ही मान्य होगी।
9. परित्यक्ता के सम्बन्ध में माननीय न्यायालय द्वारा निर्गत विधिक आदेश ही मान्य होंगे।
10. आय के सम्बन्ध में तहसील द्वारा निर्गत नवीन (विज्ञापन जारी होने के 06 माह पूर्व तक के हों) डिजिटल हस्ताक्षर से निर्गत आय प्रमाण-पत्र ही मान्य होंगे। 06 माह से अधिक पुराने आय प्रमाण-पत्र मान्य नहीं होंगे।
11. आवेदित पद से सम्बन्धित तहसील द्वारा डिजिटल हस्ताक्षर से निर्गत जाति एवं निवास प्रमाण-पत्र ही मान्य होंगे।
12. विज्ञापित पदों हेतु ऑनलाइन आवेदन करने की अन्तिम तिथि 15 जनवरी, 2025 की मध्यरात्रि 12.00 बजे तक होगी।

13. उपरोक्त विज्ञापित पदों की अर्हता एवं आवेदन करने की प्रक्रिया सहित विस्तृत जानकारी विभागीय वेबसाइट <https://upanganwadibharti.in> पर उपलब्ध है। साथ ही जानकारी हेतु सम्बन्धित विकास खण्ड के बाल विकास परियोजना कार्यालय तथा जिला कार्यक्रम अधिकारी कार्यालय, कक्ष संख्या-206, विकास भवन, माती मुख्यालय, कानपुर देहात से कार्यालय दिवस में निर्धारित समयानुसार प्राप्त की जा सकती है।


(डॉ०आर०बी०सिंह)

जिला कार्यक्रम अधिकारी,
कानपुर देहात।

पृ०सं०- ०९९६/तददिनांक।

प्रतिलिपि:-निम्नांकित की सेवा में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित है-

1. निदेशक, बाल विकास सेवा एवं पुष्ठाहार, उ०प्र०, लखनऊ।
2. जिलाधिकारी महोदय, कानपुर देहात।
3. मुख्य विकास अधिकारी महोदय, कानपुर देहात।
4. जिला सूचना अधिकारी, कानपुर देहात की सेवा में इस अनुरोध के साथ कि जनपद कानपुर देहात के बाल विकास परियोजनावार रिक्त आंगनबाड़ी पदों को अपने स्तर से प्रकाशित कराने का कष्ट करें।
5. सम्पादक महोदय, दैनिक समाचार पत्र-दैनिक जागरण एवं स्थानीय समाचार पत्र-सत्ता एक्सप्रेस को इस आशय से प्रेषित कि उपरोक्त विज्ञापित शासकीय दरों पर प्रकाशित करते हुए, जिला सूचना अधिकारी, कानपुर देहात से प्रति हस्ताक्षरित कराते हुए बिल तीन प्रतियों में मय प्रकाशित समाचार पत्र सहित अधोहस्ताक्षरी कार्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें। ताकि बिल के भुगतान की अग्रतर कार्यवाही की जा सके।


24/12/24
जिला कार्यक्रम अधिकारी,
कानपुर देहात।